मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 14–10–2020 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– श्री आर0 के0 सुधांशु, सचिव, लोक निर्माण विभाग।
2– श्री शैलेश बगौली, सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
3– श्री रविनाथ रामन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– दीपेन्द्र कुमार चौधरी, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– श्री रवनीत चीमा, अपर सचिव, शिक्षा विभाग।
6– श्रीमती अमीता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।
7– महावीर सिंह, उप सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।
8– श्री सनत कुमार सिंह, उप परिवहन आयुक्त (प्रथम), उत्तराखण्ड।
9– श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त (द्वितीय), उत्तराखण्ड।
10– श्री डीसी0 पठोई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
11– श्रीमती रश्मि पंत, सहा0सं0परि0अधिकारी, मुख्यालय।
12– श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा।
13– श्री पी0एस0 गर्ब्याल, अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
14– श्री पुनित जैन, निदेशक नियोजन, प्रोजेक्ट शिवालिक।
15– श्री अशोक पाण्डे, अपर निदेशक, शहरी विकास।
16– श्री राजेश भट्ट, पुलिस उपाधीक्षक, काशीपुर।
17– श्री प्रकाश चन्द्र, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, देहरादून।
18– श्री एस0 के0 विरला, सीई0 एन0एच0 लोक निर्माण विभाग।
19– श्री ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
20– श्री सतवीर सिंह, सदस्य लीड एजेन्सी, लोक निर्माण विभाग।
21– श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, सदस्य लीड एजेंसी, पुलिस।
22– श्रीमती मधुबाला रावत, उपनिदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, शिक्षा विभाग।
23– श्री वी0 के0 यादव, ए0एस0 वन विभाग।
24– श्री अजीत मोहन जौहरी, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

सड़क सुरक्षा

सर्वप्रथम बैठक में सचिव, परिवहन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी के समक्ष वर्ष 2019 एवं 2020 में माह सितम्बर तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 32.91 प्रतिशत मृतकों की संख्या में 30.79 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या 52.50 प्रतिशत की कमी आयी है।

04/11/20

इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस वर्ष मुख्य रूप से जनपद पिथौरागढ में दुघर्टनाओं की संख्या 38.57 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है तथा मृतकों की संख्या में उत्तरकाशी जनपद में 130.00 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। मा0 परिवहन मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2020 में माह मार्च तृतीय सप्ताह से माह जून, 2020 तक कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन होने के उपरान्त भी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुये दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग को सघन प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। मा0 मंत्रीजी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जनपदस्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में दुर्घटनाओं

2626
05/11/2020

को कम करने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श करते हुये अपेक्षित कार्यवाही की जाय। जनपद स्तर पर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हांकन किया जाय तथा यह भी विश्लेषण किया जाय कि पूर्व में सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों में दुर्घटनाओं में कमी आयी है अथवा नहीं।

2– बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की पूर्व बैठक दिनांक 01–11–2019 में मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की विभागवार प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 19–06–2020 से भी अवगत कराया गया।

3– सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के चिन्हित 139 ब्लैक स्पॉट में से 71 ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 68 ब्लैक स्पॉट पर लघुकालीन सुधार की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। मा0 परिवहन मंत्रीजी द्वारा अवशेष 53 ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

4– सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लैक स्पॉट से इतर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में चिन्हित 1929 स्थलों में से 976 में सुधार की कार्यवाही पूर्ण किये जाने तथा शेष 953 स्थलों में से 729 स्थलों पर डीपीआर गठन एवं 86 स्थलों पर सुधार की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मा0 मंत्रीजी द्वारा डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में सचिव लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त की गयी। सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय बजट की सीमित उपलब्धता के कारण दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण सम्बन्धी कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रीजी द्वारा बजट आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

5– राज्य की सड़कों पर ट्रैफिक कामिंग मैजर्स लगाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य में 1440 जंक्शन चिन्हित किये गये है जिसमें से 733 पर ट्रैफिक कामिंग मैजर्स लगाये जाने सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 707 स्थलों पर फंड उपलब्ध होने पर वर्ष 2021 तक सुधारीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। मा0 मंत्रीजी द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि अवशेष 707 स्थलों पर सुधार कार्य किये जाने हेतु ए0डी0बी0 से आवश्यक सहयोग लिया जाय।

6– लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में कार्यरत 1274 अभियन्ताओं में से 203 को सड़क सुरक्षा ऑडिट का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वर्ष 2020 में माह दिसम्बर तक 150 अभियन्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है, शेष अभियन्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने सम्बन्धी कार्य वर्ष 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि विभाग डिवीजनवार अभियन्ताओं की टीम गठित करते हुये यथा समय प्रशिक्षण पूर्ण करवा लिया जाय।

7— पैदल यात्रियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में किये गये कार्यो के विषय में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोड सेफ्टी ऐक्शन प्लान के अनुसार कुल चिन्हित 98.13 किमी में से 34.77 किमी स्थलों पर पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु फुट ओवर ब्रिज, फुटपाथ, अण्डर पास एवं पैदल यात्री क्रोसिंग आदि का निर्माण किया जा चुका है, अवशेष फुटपाथों को वर्ष 2021 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

8— लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में कुल सड़को की लम्बाई 12299.00 किमी है जिसके सापेक्ष 7877.42 किमी पर क्रैश बैरियर लगाये जाने है। वर्तमान तक सड़क निर्माता संस्थाओं द्वारा 3733.93 किमी (47.39 प्रतिशत) पर क्रैश बैरियर लगाये जा चुके है। अवशेष 4143.49 किमी पर क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त क्रैश बैरियर के कार्य किये जाने हेतु जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति से परामर्श लिया जाय, ताकि जनपद की आवश्कतानुसार क्रैश बैरियर का निर्माण किया जा सके।

9— जनपदों में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु मार्गो पर अवैध मीडियन्स खोल दिये जाते है के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जहां पर प्रायः अवैध मीडियन्स खोले जाते है का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाय तथा पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से इनको बन्द कराया जाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों से भी आख्या प्राप्त की जाय।

10— लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई 12299.00 किमी0 के सापेक्ष 9928.41 किमी0 (80.73 प्रतिशत) सड़कों पर रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एन0एच0ए0आई0 / एन0एच0ए0आई0 डी0सी0एल0 / बी0आर0ओ0 द्वारा संस्था के अन्तर्गत आने वाली सड़कों का लगभग शत् प्रतिशत ऑडिट करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों के आर0एस0ए0 को प्राथमिकता दी जाय।

11— परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वर्ष 2020 में माह सितम्बर तक विभिन्न जनपदों द्वारा जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की कुल 28 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। परिवहन आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद उधमसिंह नगर द्वारा वर्तमान वर्ष में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 परिवहन मंत्रीजी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में निर्धारित संख्या में बैठके नहीं हुयी है सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अवशेष बैठकें शीघ्र करायी जाय। सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अवशेष बैठकें शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये।

12— परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में हरिद्वार एवं हल्द्वानी में आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण के सम्बन्ध में आटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु रूपये 20 करोड 56 लाख की योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। जिसके सापेक्ष रूपये 16.50 करोड का अंशदान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया

गया है। भारत सरकार द्वारा ए0आर0ए0आई0 पुणे को उक्त कार्य हेतु तकनीकी परामर्शी नामित किया गया है। इस हेतु ए0आर0ए0आई0 पुणे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार तथा परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के मध्य त्रिपक्षीय करार किया जाना है जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त अनुबन्ध/करार को शीघ्र पूर्ण करते हुये टैस्ट ट्रैक के निर्माण की प्रकिया प्रारम्भ की जाय।

13– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि हल्द्वानी में प्रस्तावित चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये सी0आई0आर0टी0 पुणे को परामर्शी नियुक्त किया गया है। इस कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। सम्बन्धित संस्था द्वारा सम्बन्धित संस्थान की संशोधित डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से समुचित समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

14– परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के 07 जनपदों (उधमसिंह नगर, नैनीताल, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, टिहरी) में ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर हेतु भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है, तथा 02 स्थलों उत्तरकाशी एवं काशीपुर में भूमि परिवहन विभाग के नाम हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में भूमि परिवहन विभाग के नाम पर हस्तान्तरित की जा चुकी है वहां पर ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठन की प्रकिया प्रारम्भ की जाय। शेष जनपदों में भूमि के चयन की कार्यवाही 01 माह के अन्दर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

15– परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा चिन्हित 06 अभियोगों में ,वर्ष 2019 में माह अगस्त तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा कुल 63882 चालान किये गये है तथा 28078 ड्राइविंग लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2020 में माह अगस्त तक 22561 चालान तथा 7474 ड्राइविंग लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी। उपरोक्त अवधि में पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा दोपहिया वाहनों में हेल्मेट का प्रयोग न करने तथा चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने के अभियोग में वर्ष 2019 में माह अगस्त तक 462501 चालान किये गये तथा 459467 चालकों की काउन्सलिंग की गयी। जबकि वर्ष 2020 में माह अगस्त तक मात्र 49881 चालान तथा 17343 चालकों की काउन्सलिंग की गयी। मा0 मंत्रीजी द्वारा इस सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये पुलिस एवं परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्य में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये, साथ ही प्रवर्तन कार्य हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुये शत–प्रतिशत काउन्संलिग कराये जाने के निर्देश दिये गये।

16– पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर तेज गति से संचालित वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं एवं जनहानि को रोकने के

लिये, राज्य में पुलिस विभाग के पास उपलब्ध जनशक्ति एवं संसाधनों से यातायात पुलिस के साथ ही राजमार्गों पर प्रवर्तन कार्य हेतु मोबाईल यूनिट, सीटी पैट्रोल, हिल पैट्रोल एवं हाईवे पैट्रोल का गठन किया गया है। राज्य में 10 जनपदों (पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर के अतिरिक्त) में 16 इन्टरसेप्टर वाहनों को राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर पैट्रोलिंग हेतु तैनात किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। शासन द्वारा ट्रैफिक पुलिस में सृजन हेतु प्रस्तावित 1759 पदों के सापेक्ष 312 पदों की स्वीकृती प्रदान की गयी है।

17— परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में राज्य सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि से 04 इन्टरसेप्टर वाहनों का क्रय किया गया है, जिन्हें जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल में प्रवर्तन कार्यों हेतु तैनात किया गया है। वर्ष 2020—2021 में राज्य सड़क सुरक्षा कोष द्वारा विभाग को 04 इन्टरसेप्टर वाहन तथा 18 स्पीड रडार गन का क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। मा0 मंत्रीजी द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहनों एवं स्पीड रडार गन का प्रयोग ऋषिकेश, काशीपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग जनपदों में प्रवर्तन कार्यों के लिये किये जाने के निर्देश दिये गये।

18— विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु विभाग में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा के 04 पद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन के 04 पद, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक के 31 पद तथा प्रवर्तन पर्यवेक्षक के 50 पद सृजित किये गये है।

19— परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26—09—2019 को निर्गत शासनादेश के अनुसार वर्तमान में लीड एजेन्सी में पुलिस, परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग के नामित प्रतिनिधि कार्यरत है। इस सम्बन्ध में मंत्रीजी द्वारा शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग को लीड एजेन्सी में विभाग का प्रतिनिधि तत्काल नामित किये जाने के निर्देश दिये गये।

20— परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020—2021 में राज्य में सड़क सुरक्षा के लिये रूपये 19.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष परिवहन विभाग को रूपये 3.30 करोड़, पुलिस विभाग को रूपये 6.58 करोड़, चिकित्सा विभाग को रूपये 1.50 करोड़ तथा लोक निर्माण विभाग को रूपये 7.62 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। शासन द्वारा सम्बन्धित धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

21— परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा वर्ष 2018 में घटित दुर्घटनाओं के आंकडो का संकलन करते हुये पुस्तिका के रूप में प्रकाशन किया गया है। वर्तमान में वर्ष 2019 में घटित दुर्घटनाओं के आंकड़ों का संकलन किया जा चुका है तथा पुस्तिका के मुद्रित किये जाने की प्रकिया गतिमान है।

22— परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम की धारा—135 के अन्तर्गत स्कीम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव तैयार करते हुये शासन को प्रेषित किया गया है। मा0 मंत्री जी द्वारा प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

23– विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में वर्ष 2019 में सार्वजनिक सेवायान से घटित 170 दुर्घटनाओं में से 54 प्रकरणों की मजिस्ट्रीयल जांच पूर्ण की जा चुकी है जबकि 99 प्रकरणों की मजिस्ट्रीयल जांच की कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2020 में लम्बित दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच आख्याओं का विवरण जनपदों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 परिवहन मंत्रीजी द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को मजिस्ट्रीयल जांच करने हेतु त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

24– चिकित्सा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य के 13 ट्रामा सेन्टर कार्यशील है तथा जिन जनपदों में ट्रामा यूनिट स्थापित नहीं है उन जनपदों में जिला चिकित्सालयों से ही ट्रामा यूनिट का कार्य लिया जा रहा है। मंत्रीजी द्वारा चिकित्सा विभाग को राज्य में उपलब्ध समस्त एम्बुलेन्स वाहनों को हेल्पलाईन नं0–108 एवं 112 से जोड़े जाने तथा हैली एम्बुलेन्स की सेवा पर विचार किये जाने एवं ट्रामा केयर सेन्टरों को अपग्रेड किये जाने के सम्बन्ध मे निर्देश दिये गये।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

1– राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कमी लाये जाने का प्रयास किया जाय तथा इस हेतु सभी हित धारक विभागों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय, साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– सड़क निर्माता संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से खोले गये मीडियन्स को चिन्हित करते हुये उनको बन्द किये जाने की कार्यवाही की जाय। इस हेतु जनपदस्तरीय सड़क सुरक्षा समिति को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

3– मा0 मंत्री जी द्वारा विभिन्न जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित लम्बित मजिस्ट्रियल जांच आख्याओं को सूचीबद्ध करते हुये प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही त्वरित गति से किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही मंडलायुक्त कुमांऊ मण्डल नैनीताल, एवं गढवाल मण्डल, पौडी को भी अपने स्तर से जिलाधिकारियों को लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने निर्देशित किया गया।

4– जनपद हरिद्वार एवं हल्द्वानी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की शीघ्रता से स्वीकृति के लिये भारत सरकार से समन्वय स्थापित किया जाय।

5– आबादी के निकटवर्ती सड़कों पर पैदल यात्रियों हेतु सुविधाओं यथा फुटपाथ/फुटओवर ब्रिज/अंडर पास/टेबल टॉप के निर्माण के लिये इन सड़कों का रोड

सेफ्टी ऑडिट कराया जाय तथा इन सुविधाओं की स्थलवार सूची निर्मित करते हुए वार्षिक आधार पर समयबद्ध रूप से इनका निर्माण कराया जाय।

6– मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर हेतु जिन जनपदों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है उन स्थलों की डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

7– लीड एजेन्सी में अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार तत्काल कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये।

8– राज्य में दुपहिया वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं से जनहॉनि को रोकने के लिये हैलमेट का प्रयोग न करने वाले दुपहिया वाहन चालको के विरूद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये। नियम विरूद्ध संचालित हो रहे विद्यालयी वाहनों तथा नाबालिकों द्वारा वाहन संचालन करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

9– पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को रात्रि में चैकिंग करने के साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में नियमित रूप से सांयकाल 5.00 बजे से 9.00 बजे रात्रि तक नशे की हालत में वाहन संचालन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सघन चैकिंग अभियान संचालित करने एवं लगातार अपराधिक प्रवृत्ति वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये उनके चालक लाईसेन्स निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

10– चिकित्सा विभाग को निर्देश दिये गये कि राज्य में उपलब्ध समस्त एम्बुलेन्स वाहनों को हेल्पलाईन नं0–108 एवं 112 से जोड़े जाने की कार्यवाही तत्काल की जाय।

11– जिला सड़क सुरक्षा समितियों को निर्देशित किया गया कि मा0 समिति के निर्देशानुसार जनपदों में बैठकों का आयोजन किया जाय, तथा जनपदों में हो रही दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुये रोकने हेतु निरन्तर प्रयास किये जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सभी संभव उपाय करने, अति आवश्यक कार्य हेतु बजट की व्यवस्था करने और सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1,

संख्या– 381 /ix–1/(23/2014)/2020

देहरादून, दिनांक 2 ~~अक्टूबर,~~ 11 2020

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग/आबकारी विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग /वित्त विभाग।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6– आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
9– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
11– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
12– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
13– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
14– पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
15– अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, (स0सु0)दसवांवृत, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।
16– रिजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0, उत्तराखण्ड रीजन।
17– कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट शिवालिक, आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।
18– कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट हीरक रई, पिथौरागढ़।
19– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(शैलेश बगोली)
सचिव।